



भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)



Office Order No. 51 of 2025

Subject: Delegation of Powers in Public Relations Directorate of Board's Office.

The Delegation of Power to EDIP/DIP for maintaining a cash imprest for making contingent purchases of photographic materials and repairs to photographic equipment stands revised as under:

S. No.	Subject	Revised Power
1	Cash imprest for making contingent purchases of photographic materials and repairs to photographic equipment & incidental expenditure on taxi hire.	The existing imprest amount of Rs 5000/- being operated by EDIP/DIP is enhanced to Rs. 15000/- to enable direct procurement of small-value electronic items and camera accessories from the open market as and when needed. All bills to be submitted within a month of the expenditure for recoupment.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

No. 2025/O&M/7/16

Dated: 05.08.2025

(T. Srinivas)

Joint Secretary/ Railway Board

Email ID: t.srinivas1@gov.in

Tele No.: 011- 47845551

All Officers & Branches in Board's Office, COFMOW Building & Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:

EDIP& DIP

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2025 का कार्यालय आदेश सं. 51

विषय: बोर्ड कार्यालय के जनसंपर्क निदेशालय में शक्तियों का प्रत्यायोजन।


फोटोग्राफिक सामग्री की आकस्मिक खरीद और फोटोग्राफिक उपकरणों की मरम्मत के लिए नकद अग्रदाय बनाए रखने हेतु कार्यपालक निदेशक सूचना एवं प्रचार/निदेशक सूचना एवं प्रचार को प्रत्यायोजित शक्ति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्रम सं.	विषय	संशोधित शक्ति
1.	फोटोग्राफिक सामग्रियों की आकस्मिक खरीद और फोटोग्राफिक उपकरणों की मरम्मत के लिए नकद अग्रदाय और टैक्सी किराये पर आकस्मिक व्यय।	कार्यपालक निदेशक सूचना एवं प्रचार/निदेशक सूचना एवं प्रचार द्वारा व्यय की जाने वाली 5000/- रुपये की मौजूदा अग्रिम राशि को बढ़ाकर 15000/- रुपये कर दिया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर खुले बाजार से कम मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और कैमरे के सहायक उपकरणों का सीधा प्रापण किया जा सके। सभी बिलों को व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2025/ओएंडएम/7/16

दिनांक:05.08.2025


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

टेलीफोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक सूचना एवं प्रचार और निदेशक सूचना एवं प्रचार

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)